



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ खान
Kadar Nawaz Khan
संयुक्त कुलसचिव/कार्यकारी कुलसचिव
Joint Registrar/Acting Registrar

दूरभाष/Phone : + 91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-230902

पत्रांक : 006/Est./Gen./79/part-III/2015/4532
दिनांक : 15/04/2015

स्मरण-पत्र

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालयादेश क्रमांक स्था/4237/2015/म.ग.अ.हि.वि., दिनांक 22.01.2015 के तारतम्य में विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों को सूचित किया जाता है कि किसी भी कार्यशाला, संगोष्ठी या प्रशिक्षण में उपस्थित होकर लौटने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन के साथ कम से कम 500 शब्दों में एक रिपोर्ट तथा उनके द्वारा संबंधित प्रस्तुति की प्रति, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में लिए गए कर्तव्यावकाश को अर्जित अवकाश में परिवर्तित किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का पूर्व में मंजूर किया गया व्यय देय नहीं होगा।

यह स्मरण-पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

कादर नवाज़ खान
(कादर नवाज़ खान) 10/04/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/निदेशक/केंद्र
4. कुलसचिव कार्यालय
5. वित्ताधिकारी कार्यालय
6. सहायक कुलसचिव (प्रशिक्षण)
7. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त सूचना पट्ट
9. संबंधित पत्रावली
10. गार्ड फाइल